

**कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़**

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष- 2236685- फैक्स- 0771-2236684

email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / वि.स.उप.निर्वा. / ई.ई.एम. / 2022 / 348
प्रति,

रायपुर, दिनांक / 05 / 2022

26 MAY 2022

श्री अनूप कुमार खाखलारी,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोका रोड,
नई दिल्ली-110001

- विषय:- विधानसभा उप निर्वाचन-2022, प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।
- संदर्भ:- 1. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /464 /ECI/EEM/ BYE-ELEC/Exp.obs./ EEPS/2022-Vol.1, दिनांक 02 मई, 2022
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक -76/Instruction /2015 /EEPS/Vol-I.XIV, दिनांक 02 जून, 2016

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे।

- 2/ तदसंबंध में विधानसभा उप निर्वाचन-2022 (73-खैरागढ़) का निर्वाचन आपके निर्देशानुसार सम्पन्न करवाया गया है, जिसमें 10 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में भाग लिया गया, जिसकी मतगणना 16 अप्रैल, 2022 को पूर्ण की गई है।
- 3/ निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2022 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से प्राप्त व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी Summary Report, Candidatewise Scrutiny Report की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजनांदगांव, छ.ग. के पत्र क्रमांक-2128/वि.स.उ.नि/नि.व्यय.अनु./2022, दिनांक 23 मई, 2022 के द्वारा प्रेषित की गई है। Format-C4 (Report by Candidate about publishing of declaration regarding criminal cases) की जानकारी निरंक होने के कारण जिले द्वारा प्रेषित नहीं की गई है। उक्त निर्वाचन व्यय की जानकारी अनुशंसा सहित मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

तदनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(शिखा राजपूत तिवारी)
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव

दूरभाष कं:- 07744-226315

ई-मेल :-deo-rajnandgaon.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक/2128/वि.स.उ.नि./नि.व्यय.अनु./2022
प्रति,

राजनांदगांव, दिनांक 23/05/2022

✓ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर,
शास्त्री चौक, रायपुर

विषय :- विधानसभा उप निर्वाचन 2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक-ग13) का प्रेषण।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 21/चार/वि.स.उपनिर्वा./ई.ई.एम./2022/1671 रायपुर दिनांक 04.05.2022।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा उप निर्वाचन 2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ अंतर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा, परिणाम घोषणा के तीस दिवस के भीतर अर्थात् 16.05.2022 के पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा किये जाने के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-ग13 में प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त निर्देश के परिपालन में विधानसभा उप निर्वाचन 2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ अंतर्गत निर्वाचन लड़ने वाले समस्त 10 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 16.05.2022 के पूर्व अपना अंतिम निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ग13 में अभ्यर्थीवार पृथक-पृथक तैयार कर संवीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ग13 के Row-23 में टिप्पणी अंकित करने तथा हस्ताक्षर हेतु कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 2095 दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से व्यय प्रेक्षक महोदय को ई-मेल पर संवीक्षा रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। व्यय प्रेक्षक महोदय द्वारा Row-23 में टिप्पणी अंकित करते हुए हस्ताक्षर उपरांत ई-मेल के माध्यम से संवीक्षा रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

अतः व्यय प्रेक्षक महोदय के हस्ताक्षर उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट (अनुलग्नक-ग13) अभ्यर्थीवार मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (दो सेट)



Date: 24 MAY 2022
No. 1185/c
ADDL CEO
JTCEO(BM)/JTCEO(KRRS)/DYCEO(AT)/
DYCEO(VA)/DDF/ACEO(RV)/ACEO(SA)/
ACEO(PT)/SM(VA)/Account(SK)/Steno

At II
Smt. Wiron

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 01

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री कोमल जंघेल पता-ग्राम व पोस्ट-धिरघोली, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491885
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	भारतीय जनता पार्टी
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	12.05.2022
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :	
	(i) मूल लेखा	10.05.2022
	(ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा	लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं	लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			3172872/- रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)				लागू नहीं		
(ii)				लागू नहीं		
(iii)				लागू नहीं		
कुल				लागू नहीं		
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ  (श्री तारुण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * Seen Verified and submitted online	Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:02:56 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-छैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा निलावर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की समी मर्दों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलानक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)		अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
1	श्री कोमल जंघेल, भारतीय जनता पार्टी	16.05.2022	10.05.2022	हाँ	हाँ	3172872/- रूपये	हाँ	प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गई एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किए गए अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग



(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

I agree with the report

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOS
 H
 PARAGE
 Digitally signed
 by SANTOSH
 PARAGE
 Date: 2022.05.19
 09:16:05 +05'30'

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 02

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री नरेन्द्र सोनी पता-वार्ड नं. 09, सोनार पारा, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491881
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	12.05.2022
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :	
	(i) मूल लेखा	13.05.2022
	(ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा	लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं	लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग		365850 / - रुपये			
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है		हाँ			
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है	लागू नहीं			
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं	लागू नहीं			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है	लागू नहीं			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं	लागू नहीं			
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	लागू नहीं			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं	लागू नहीं			
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं		हाँ			
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)			लागू नहीं			
(ii)			लागू नहीं			
(iii)			लागू नहीं			
कुल			लागू नहीं			
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?		हाँ			
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समझत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ <i>Taran</i> (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो *	
Seen, verified and submitted online		SANTOS Digitally signed by SANTOSH H PARAGE Date: 2022.05.19 09:04:42 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रप्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा निलाभर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

क्र.सं.	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राप्तिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)		अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गई एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किए गए अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/चेक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग
1	श्री नरेन्द्र सोनी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	16.05.2022	13.05.2022	हाँ	हाँ	365850/- रूपये	हाँ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



I agree with the report

(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

SANTOSH PARAGE
 Digitally signed by SANTOSH PARAGE
 Date: 2022.05.19 09:17:47 +05'30'

दिनांक :- 19.05.2022

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 03

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

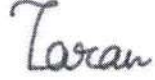
जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण		जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा पता-ग्राम व पोस्ट-देवारीभाठ, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491881
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		इंडियन नेशनल कांग्रेस
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम		विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख		16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख		12.05.2022
7	(i)	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii)	क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं)		हाँ
	(यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)		
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख		16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है		हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :		
	(i)	मूल लेखा	12.05.2022
	(ii)	लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया		हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि		लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा		लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं		लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो		लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां		लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			3542193/- रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	(i)			लागू नहीं		
	(ii)			लागू नहीं		
	(iii)			लागू नहीं		
	कुल			लागू नहीं		
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हों, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हों, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ  (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		 Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:05:35 +05'30'
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * Seen, verified and submitted online	
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा निलाभर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की समी मर्दों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलानक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
1	श्रीमती यशोदा निलाभर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस	16.05.2022	12.05.2022	हाँ	हाँ	3542193/- रूपये	हाँ	प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गई एकमुश्त धनराशि राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किए गए अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें) अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	
2								जैन मोटर्स- 600000/- शुभम चन्द्राकर- 60000/-	निरंक	
योग								660000/- रूपये		

I agree with the report



(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Taran

SANTOSH PARAGE

Digitally signed by SANTOSH PARAGE
 Date: 2022.05.19 09:18:36 +05'30'

दिनांक :- 19.05.2022

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 04

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़ जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण		जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		श्री चुरण (विप्लव साहू) पता-ग्राम व पोस्ट-मुढ़ीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491881
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम		विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख		16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख		12.05.2022
7	(i)	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii)	क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)		हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख		16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है		हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :		
	(i)	मूल लेखा	12.05.2022
	(ii)	लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया		हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि		लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा		लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं		लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो		लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ		लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			452938 / - रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)				लागू नहीं		
(ii)				लागू नहीं		
(iii)				लागू नहीं		
कुल				लागू नहीं		
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए।)	हाँ Taran (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * Seen, verified and submitted online	Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:06:18 +05'30'
	दिनांक : 17.05.2022	व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर
	दिनांक : 19.05.2022	

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
- (ग) राज्य एवं जिला:
- (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
- (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
- (च) निर्वाचित अभ्यर्था का नाम

राज्य—छत्तीसगढ़, जिला—राजनानंदगांव

16.05.2022

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

[illegible]

Topic

Digitally signed by
SANTOSH PARAGE
Date: 2022.05.19
09:19:18 +05'30'

दिनांक :- 19.05.2022

व्याय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 05

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण		जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		श्री ढालचंद साहू पता—बजरंगपुर नवागांव, राजनांदगांव, जिला—राजनांदगांव (छ.ग.) पिन—491441
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम		विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73—खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख		16.04.2022
6	लेखा—समाधान बैठक की तारीख		12.05.2022
7	(i)	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा— समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii)	क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	हाँ
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा—समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा—समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं)		हाँ
	(यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)		
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख		16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है		हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :		
	(i)	मूल लेखा	09.05.2022
	(ii)	लेखा—समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	—
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया		हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि		लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा		लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं		लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो		लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां		लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			37830/- रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	लागू नहीं					
(ii)	लागू नहीं					
(iii)	लागू नहीं					
कुल	लागू नहीं					
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22		क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समझत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं. 8 के समान होना चाहिए।)	हाँ
		दिनांक : 17.05.2022	 (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
23		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो *	
		Seen, verified and submitted online	Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:06:59 +05'30' SANTOSH PARAGE
		दिनांक : 19.05.2022	व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा निलाभर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फॉर्मेट में है (हां या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हां या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपपात/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की समी मर्दों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपपात कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
1	श्री बालचंद्र साहू आवेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	16.05.2022	09.05.2022	हाँ	हाँ	37830/- रुपये	हाँ	निरंक	निरंक	निरंक



व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो, I agree with the report

(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOS
 H
 PARAGE
 Digitally signed
 by SANTOSH
 PARAGE
 Date: 2022.05.19
 09:20:19 +05'30'

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 06

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण		जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		श्री मोहन भारती पता-ग्राम भरदागोंड, पोस्ट-बुंदेली, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491888
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		राष्ट्रीय जनसभा पार्टी
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम		विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख		16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख		12.05.2022
7	(i)	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii)	क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं)		हाँ
	(यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)		
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख		16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है		हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :		
	(i)	मूल लेखा	13.05.2022
	(ii)	लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया		हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि		लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा		लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं		लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो		लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां		लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			114410/- रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)				लागू नहीं		
(ii)				लागू नहीं		
(iii)				लागू नहीं		
कुल				लागू नहीं		
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ Tarun (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो *	SANTOS Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:07:45 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
- (ग) राज्य एवं जिला:
- (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
- (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
- (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-छैरागाढ़
10
राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
16.04.2022
16.05.2022
श्रीमती यशोदा निलावर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबंधता	लेखा दाखिल करने की तिथि	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तिथि	क्या निर्धारित फॉर्म में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विशिष्ट द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा अपागत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा अपागत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
1	श्री मोहन भारती, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	16.05.2022	13.05.2022	हाँ	हाँ	114410/- रुपये	हाँ	निरंक निरंक निरंक निरंक		

I agree with the report




 (श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOSH PARAGI
Digitally signed by SANTOSH PARAGI
Date: 2022.05.19 09:21:42 +05'30'

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 07

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़ जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्रीमती संतोषी प्रधान पता-ग्राम देवपुराघाट, पोस्ट-साल्हेवारा, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491888
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	12.05.2022
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :	
	(i) मूल लेखा	11.05.2022
	(ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा	लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं	लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			245935 / - रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	लागू नहीं					
(ii)	लागू नहीं					
(iii)	लागू नहीं					
कुल	लागू नहीं					
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ  (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		 SANTOSH PARAGE Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:08:23 +05'30'
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * Seen, verified and submitted online	
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा निलाबर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्वाचित फार्मेट में दाखिल किया है (हां या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तथ्यों से दाखिल है (हां या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा उपगत/प्राप्तिकृत द्वारा (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलानक-गा3 के बिंदु सं. 22 के सामान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	राजनीतिक दल को नकदी/चैक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग
1										
2										
3										
4	श्रीमती संतोषी प्रधान, गौड़वागा नगरपालिका पट्टी	16.05.2022	11.05.2022	हां	हां	245935/- रुपये	हां	निरंक	निरंक	निरंक
5										
6										
योग										

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो: I agree with the report



(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

SANTOSH
 H
 PARAGE

Digitally signed
 by SANTOSH
 PARAGE
 Date: 2022.05.19
 09:22:53 +05'30'

दिनांक :- 19.05.2022

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 08

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़ जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण		जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		श्रीमती अरुणा बनाफर पता-ग्राम चिखलदाह, पोस्ट-बेन्द्रीडीह, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491881
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		निर्दलीय
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम		विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख		16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख		12.05.2022
7	(i)	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii)	क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं)		हाँ
	(यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)		
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख		16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है		हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :		
	(i)	मूल लेखा	11.05.2022
	(ii)	लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया		हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि		लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा		लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं		लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो		लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां		लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग		54000 / - रुपये			
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है		हाँ			
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है	लागू नहीं			
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं	लागू नहीं			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है	लागू नहीं			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं	लागू नहीं			
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	लागू नहीं			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं	लागू नहीं			
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं		हाँ			
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	लागू नहीं					
(ii)	लागू नहीं					
(iii)	लागू नहीं					
कुल	लागू नहीं					
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी [अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)] विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं 8 के समान होना चाहिए।)	हाँ
दिनांक : 17.05.2022		 Taran (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनान्दगांव (छ.ग.)
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो *	Seen, verified and submitted online SANTOSH PARAGE Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:09:10 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम:
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं.
 (ग) राज्य एवं जिला:
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख:
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख:
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-छैरागढ़
 10
 राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 16.04.2022
 16.05.2022
 श्रीमती यशोदा तिलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

क्र.सं.	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फॉर्मेट में दाखिल किया है (हां या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हां या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डोईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी	
1	श्रीमती अरुणा बनावार, निर्दलीय	16.05.2022	11.05.2022	हां	हां	54000 / – रुपये	हां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	



व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो..... I agree with the report

(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOSH
 H
 PARAGI
 Digitally signed by SANTOSH PARAGI
 Date: 2022.05.19 09:23:39 +05'30'

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 09

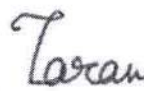
राज्य का नाम-छत्तीसगढ़ जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री नितिन कुमार भाण्डेकर पता-मकान नं. 107, पांडादाह, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491881
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	12.05.2022
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :	
	(i) मूल लेखा	13.05.2022
	(ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा	लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं	लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग			101000/- रुपये		
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है			हाँ		
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है		लागू नहीं		
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं		लागू नहीं		
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है		लागू नहीं		
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं		लागू नहीं		
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया		लागू नहीं		
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा		लागू नहीं		
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं		लागू नहीं		
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती है			हाँ		
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
(i)	लागू नहीं					
(ii)	लागू नहीं					
(iii)	लागू नहीं					
कुल	लागू नहीं					
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?			हाँ		
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दें :-					

(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
(ii)	यदि हों, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
(iv)	यदि हों, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)	हाँ  (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022		
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो * Seen, verified and submitted online	SANTOSH H PARAGE Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:09:51 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम: विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
10
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं. राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
- (ग) राज्य एवं जिला: 16.04.2022
- (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख: 16.05.2022
- (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख: श्रीमती यशोदा निलाभर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
- (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तारीख से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलानक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी
1	श्री नितिन कुमार माण्डेकर, निर्दलीय	16.05.2022	13.05.2022	हाँ	हाँ	101000/- रुपये	हाँ	निरंक	निरंक	निरंक

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो तो, I agree with the report



(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOSH PARAGI
Digitally signed by SANTOSH PARAGI
Date: 2022.05.19 09:25:35 +05'30'

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या- 10

राज्य का नाम-छत्तीसगढ़

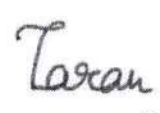
जिला-राजनांदगांव

निर्वाचन- विधानसभा उप निर्वाचन 2022

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

क्र.	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए
1	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	श्री साधूराम धुर्वे पता-ग्राम गेरुखदान, पोस्ट-रामपुर, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491888
2	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3	विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. तथा नाम	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
4	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	परिणाम की घोषणा की तारीख	16.04.2022
6	लेखा-समाधान बैठक की तारीख	12.05.2022
7	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया था	हाँ
	(ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है	नहीं
8	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तंभ सं. 19 में दिखाई जाएं जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9	लेखा दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख	16.05.2022
10	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है	हाँ
11	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :	
	(i) मूल लेखा	09.05.2022
	(ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा	-
12	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलंब की अवधि	लागू नहीं
13	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा	लागू नहीं
	यदि नहीं तो कारण बताएं	लागू नहीं
14	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	लागू नहीं

15	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग		34000 / - रुपये			
16	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है		हाँ			
17	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें					
	(i)	दिन प्रतिदिन के लखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत रूप से शपथ प्रस्तुत की गई है	लागू नहीं			
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं	लागू नहीं			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिए अलग से बैंक अकाउन्ट खोला गया है	लागू नहीं			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किए गए हैं	लागू नहीं			
18	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिए क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया	लागू नहीं			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	लागू नहीं			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं	लागू नहीं			
19	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छायाप्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाए गए व्ययों के साथ मेल खाती हैं		हाँ			
	यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें					
	व्यय की मदें	तारीख	छायाप्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ सं.	छायाप्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धन राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
	(i)	लागू नहीं				
	(ii)	लागू नहीं				
	(iii)	लागू नहीं				
	कुल	लागू नहीं				
20	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया ?		हाँ			
21	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति सं. 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं है तो निम्नलिखित विवरण दे :-					

	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधार बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	लागू नहीं
	(ii)	यदि हों, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित (यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो)) विसंगतियों से संबंधित जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रतियाँ संलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें	लागू नहीं
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया?	लागू नहीं
	(iv)	यदि हों, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें	लागू नहीं
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण	लागू नहीं
22	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी समहत है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गई है। व्यय सही रूप से सूचित किए गए हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तंभ सं.8 के समान होना चाहिए।)		हाँ  (श्री तारण प्रकाश सिन्हा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक : 17.05.2022			
23	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो *		Seen, verified and submitted online SANTOSH PARAGE Digitally signed by SANTOSH PARAGE Date: 2022.05.19 09:10:39 +05'30'
दिनांक : 19.05.2022		व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर	

* यदि व्यय प्रेक्षक के पास कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो वे इस संदर्भ में एक अलग नोट जोड़ सकते हैं।

** जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संकलित की जानी है और आयोग को अग्रेषित की जानी है। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अतिरिक्त टिप्पणी देना चाहते हैं तो, वे अलग से टिप्पणी भेज सकते हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट

- (क) विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम: विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़
 (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल सं. 10
 (ग) राज्य एवं जिला: राज्य-छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव
 (घ) निर्वाचन/उप-निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की ति. 16.04.2022
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख: 16.05.2022
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस

क्र.सं.	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय संबद्धता	लेखा दाखिल करने की तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हो या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हो या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखाई गई धन राशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा: अनुलग्नक-ग3 के बिंदु सं. 22 के समान होनी चाहिए)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है)		अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग-III में निर्दिष्ट है	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी	
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गई एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गई नकदी/बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिए वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग
1	श्री साधूराम धुर्वे, निर्दलीय	16.05.2022	09.05.2022	हो	हो	34000 /— रुपये	हो	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

I agree with the report



(श्री तारन प्रकाश सिन्हा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :- 19.05.2022

SANTOSH
 H
 PARAGI
 Digitally signed by SANTOSH PARAGI
 Date: 2022.05.19 09:26:16 +05'30'